(2011) 2 एस०सी०आर० 1136

दयाल दास
बनाम
राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 526/2011)
फरवरी 22, 2011

(दलवीर भण्डारी और दीपक वर्मा, जे०जे०)

दण्ड संहिता 1860

एस एस. 304 (भाग- II) और 328, और एस. 54-A राजस्थान आबकारी अधिनियम- गवाह का यह बयान कि उसने मृतक को अभियुक्त की सोडा - लेमन की दुकान पर अवैध शराब पीते हुए देखा था, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गवाह के इस बयान पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया:- गवाह का उक्त बयान जिसके कारण अभियुक्त को दोषसिद्धि की सजा हुयी थी, उसके साक्ष्य से यह संकेत नही मिलता है कि मृतक ने अभियुक्त की दुकान से अवैध शराब खरीदी थी। - इसके अलावा ,मृतक द्वारा अभियुक्त की दुकान पर पी गयी अवैध शराब को रसायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया -परिणाम स्वरुप, अभियुक्त को इस तरह के साक्ष्य के आधार पर अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया गया- अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया- राजस्थान आबकारी अधिनियम।

पी० डब्ल्यू० 12 के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने पी० डब्ल्यू० 12 के साथ दो अन्य लोग जो अभियुक्त की सोडा लेमन की दुकान पर शराब का सेवन कर रहे थे, उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गयी थी। गवाह ने अभियुक्त की दुकान में एक एल.सी. को भी शराब पीते हुए देखा था। पी० डब्ल्यू० 12 ने अपने बयान में कहा कि वह होश में नही था और अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया और उसे तब पता चला कि एल.सी. की मृत्यु शराब पीने से हो गयी थी। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा U/SS 304 (भाग-II) व 328 आई०पी०सी० एवं धारा 54-ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया तथा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दोषसिद्ध एवं कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

अभियुक्त के द्वारा अपील दायर की गयी जिसमें अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि पी० डब्ल्यू० 12 के बयान में यह कही अंकित नहीं है कि पीडित ने अवैध शराब अभियुक्त की दुकान से खरीदी थी और उसके सेवन करने से वह मर गया और इस तरह उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त को घटित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गयी

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया:- 1.1 पी० डब्ल्यू० 12 के मूल बयान के अवलोकन से इस तथ्य का साक्ष्य नही मिलता है कि मृतक ने अभियुक्त की दुकान से अवैध शराब खरीदी थी। यह तथ्य पी० डब्ल्यू० 12 के बयान में भी अंकित नही है, जिसकी वजह से अपीलार्थी को दोषसिद्धि की सजा दी गयी। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को, पी० डब्ल्यू० 12 के बयानों के आधार पर अपराध में संलिप्त होना नही माना जा सकता [पैरा 11][1140-सी-डी]

1.2 यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि विचारण के दौरान अन्य दो गवाह, पी०डब्लू० - 9 और पी0 डब्ल्यू0 - 13 पक्षद्रोही घोषित किये गये थे। यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि मृतक द्वारा अपालार्थी की दुकान पर पी गयी शराब को रसायनिक परीक्षण के लिये नही भेजा गया था। केवल पी० डब्ल्यू0 12 के बयान के आधार पर कि मृतक ने अपीलार्थी की दुकान में शराब का सेवन किया था उसे अंतर्गत धारा 304 भाग- (II) आई 0 पी0 सी0 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना सही नही होगा। इस प्रकार, पी0 डब्ल्यू0 - 12 के बयान को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय न गलत तरीके से पढ़ा व समझा और दुर्भाग्य से अपीलार्थी को दोषसिद्धि की सजा सुनायी गयी। उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जाते है तथा अपीलार्थी को रिहा किये जाने का निर्देश जारी किया जाता है। [पैरा 12,14 व 15] [114-ई-एफ, एच; 1141-ए-बी]

आपराधिक अपील का क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 526 / 2011

उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा एस.बी. दाण्डिक अपील संख्या 356/1984 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 25.05.2006

डी.एन. गोवर्धन, प्रबल बागची, अनिरूद्ध आनन्द अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित

अभिषेक गुप्ता, आर. गोपाकृष्णन प्रत्यर्थी के अधिवक्ता उपस्थित

न्यायालय का निर्णय दलवीर भण्डारी, जे. द्वारा दिया गया 1. देरी को माफ किया गया, लीव स्वीकार की गयी।

2. दोनों पक्षों के विद्धान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना गया।

3. यह अपील उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के दाण्डिक अपील संख्या 356/1984 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 25 मई 2006 के विरूद्ध योजित की गयी है। जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दण्डादेश की पुष्टि की थी।

4. इस अपील के निस्तारण के लिये प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य इनका पुनर्कथन नियमानुसार किया गया है।

दिनांक 26.08.1979 को समय 11:00 बजे सुबह, स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन, क्लॉक टॉवर, अजमेर में पी0 डब्ल्यू0 - 12 भैरू लाल का जवाहर लाल नेहरू, अस्पताल, अजमेर का पर्चा बयान दर्ज किया था जिस पर (प्रदर्श 34) डाला गया। पर्चा बयान के अनुसार, दिनांक 23.08.1979 को लगभग समय

8:45 अपराह्न, जब वह न्यू मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर खड़े थे। तब हरी सिहं, बैण्ड मास्टर और रामनिवास अपीलार्थी दयाल दास सिन्धी की सोडा लेमन की दुकान से बाहर निकले थे। भेरुलाल दोनो लोगों को जानते थे। इन सभी लोंगो ने उक्त दयाल दास सिन्धी की दुकान पर शराब पी थी। जब वह सभी दयाल दास सिन्धी की दुकान पर शराब पी रहे थे तब एक लाल चदं ठेले वाला भी उक्त दुकान पर शराब पीते हुए देखा गया।

5- भेरुलाल बेहोश हो गये और जब उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया और वहां उन्हें पता चला कि लाल चंद की मृत्यु हो गयी है क्योंकि उसने अवैध शराब का सेवन किया था।

6- परचा बयान के आधार पर, पुलिस अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, संक्षेप में (एफ०आई०आर०) दर्ज की और विवेचना शुरु कर दी। जांच के उपरान्त यह पाया गया कि सात व्यक्ति लाल चंद, अर्जुन, भगवान, चमन दास, धन्ना, जेथानंद और सुरेश रावत ने भी अवैध शराब का सेवन करने में अपनी जान गंवाई।

7- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अजमेर, ने इस मामले की सुनावाई के पश्चात निर्णय दिनांक 07.08.1984 को पारित करते हुए सत्र परीक्षण संख्या 03/1980 में अपीलार्थी दयाल दास को धारा 304 के भाग-II व धारा 328 IPC एवं राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 54-A के आधीन सजा सुनाई। आई०पी०सी० की धारा 304 भाग-II तहत दस वर्ष के लिए कठोर कारावास और 4000/- रुपये का जुर्माना और आगे दोषी ठहराते हुए राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 54-A के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि दोनो सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

8- अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उक्त निर्णय से व्यथित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील योजित की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा था।

9- विचारण न्यायालय और उच्च न्याायालय ने समवर्ती रुप से यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक लालचंद ने अवैध शराब अपीलार्थी दयाल दास सिन्धी की दुकान से खरीदी थी और उस अवैध शराब का सेवन ही उसकी मृत्यु का कारण बना था।

10- न्यायामित्र के रुप में अपीलार्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता, श्री डी०एन० गोवर्धन ने यह तर्क रखा कि दोंनो, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय अमान्य हैं क्योंकि पी० डब्ल्यू० 12 भेरुलाल के बयान को दोनों निचली अदालतों द्वारा सही प्रकार से पढ़ा गया और उसका विश्लेषण सही प्रकार ने नहीं किया। श्री गोवर्धन के अनुसार, पी० डब्ल्यू० 12 के पूरे साक्ष्य में, यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अवैध शराब की खरीद उसके (मृतक) द्वारा दयाल दास सिन्धी की दुकान से की गयी थी। पूरे बयान में जो कुछ बताया गया है वह केवल इतना है कि उसने लालचंद को दयाल दास सिन्धी की दुकान में अवैध शराब पीते हुए देखा था। लालचंद का दयाल दास सिंधी की दुकान पर अवैध शराब पीते हुए देखा जाना, केवल इसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराधी मान लेना सही नहीं है।

11- न्यायामूर्तिगण द्वारा स्वंय पी० डब्ल्यू० 12 भेरू लाल का बयान पढ़ा गया लेकिन बयान में उन्हें यह तथ्य कहीं नहीं मिला कि मृतक लाल चंद ने अभियुक्त दयाल दास सिंधी की दुकान से अवैध शराब खरीदी थी। गवाह भेरुलाल के बयान के जिस भाग के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है वह भेरूलाल के

मूल बयान में भी उल्लिखित नहीं है। परिणामस्वरूप पी० डब्ल्यू० 12 के बयान के आधार पर अपीलार्थी को अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है।

12- यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अन्य दो गवाह, हरी सिहं, पी० डब्ल्यू०- 9 और रामनिवास, पी० डब्ल्यू०-13 इस मामले की सुनवाई के दौरान पक्षद्रोही हो गये। यह उल्लेख करना उचित होगा कि लालचंद द्वारा अपीलार्थी दयाल दास सिन्धी की दुकान में जिस शराब का सेवन किया गया था उसे रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया था। साक्षी पी० डब्ल्यू० 12 भेरुलाल द्वारा दिये गये बयान कि मृतक लालचंद, दयाल दास सिन्धी की दुकान पर अवैध शराब पी रहा था, केवल इसी आधार पर अपीलार्थी की अन्तर्गत धारा 304 (भाग-II) की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं है।

13- राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रुप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि पी० डब्ल्यू० 12 भेरु लाल के पूरे साक्ष्य में उसने कहीं भी यह नहीं कहा था कि मृतक लालचंद ने दयाल दास सिंधी की दुकान से अवैध शराब खरीदी थी।

14- पी० डब्ल्यू 12 भेरु लाल के बयान को ध्यान से पढ़ने पर, न्यायमूर्तिगण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं था कि दोनों निचली अदालतों विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा भेरु लाल के बयान का सही निष्कर्ष नहीं निकाला गया और यह दुर्भाग्य से यह अपीलार्थी के दोषसिद्धि का कारण बना।

15- इस मामले को देखते हुए, विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को निरस्त किये जाने के सिवाय माननीय न्यायमूर्तिगण के समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा था। परिणामस्वरूप , अपीलार्थी की दोषसिद्धि की सजा को निरस्त किया गया और यह निर्देश दिया गया कि यदि अपीलार्थी किसी अन्य मामले में वांच्छित न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाये।

16- अपीलार्थी द्वारा दायर अपील स्वीकार की गयी और तदनुसार निस्तारित की गयी।

17- अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया और न्यायालय को इस मामलें में न्यायमित्र को नियुक्त करना पड़ा था। इसलिये माननीय न्यायमूर्ति द्वारा आदेश दिया गया कि इस निर्णय की प्रतियां अनुपालन हेतु सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजी जाये।

18- इस निर्णय से अलग होने से पूर्व न्यायमूर्ति द्वारा न्यायमित्र डी० एन० गोवर्धन द्वारा प्रदान की गयी सक्षम सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे दर्ज किया।

आर०पी० अपील स्वीकार की गयी।

अनुवादकर्ता
(शिखा प्रधान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 06
रेप एवं पॉक्सो एक्ट, कासगजं

Digitally signed by SHIKHA PRADHAN
Date: 2023.11.04 12:10:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court